हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आर्य भट्ट एकेडेमी बनाम पांचू व अन्य

राजस्व वाद संख्या 55 / 2018

अर्न्तगत धारा 53,188 आरटीए

तारीख हुक्म	
14.09.2020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली पर दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.09.2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (मु०) अजमेर
	दिनांक : 17/09/2020 जिला/ राजस्व वाद एस.डी.एम. 2 अजमेर ने आज ... कोरोना वैश्विक महामारी के कारण से कार्य स्थगित रखा है। अतः पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही ... अगली तारीख ..... के दिनांक 21/09/2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर
21/9/2020	पत्रावली पेश हुई। वादी/अभिभाषक उपस्थित। वादी ने अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष वास्ते पेश किये जाने वाद प्रेषित किया। वादी अभिभाषक द्वारा अनुरोध किया कि मैं आवेदिका द्वारा पोषणार्थ दर्ज निवेदन किया कि सलियाणा गांव के अन्य पृथक-पृथक पक्षों से वादग्रस्त आराजी में निजी अपने हिस्से का बंटवारा आपसी किया पंचों के माध्यम से वादी को कब्जा में लेकर वाद पक्ष में पार्टीशन समझौता किया है। जिसमें अन्य वाद पक्ष के पार्टीशन अन्य भाइयों का मुआवजा/खातेदारी अधिकार अन्य वाद पक्ष से वादी के पक्ष में हो गये हैं। जिसमें वाद पक्ष में अब कोई वाद कारण शेष नहीं रहा है। अब वादी पक्ष उक्त वाद पक्ष को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वादी पक्ष अपने कथनों के समर्थन में भाकेकि पर अपने बयान अंकित किये जिसे उनके अभिभाषक ने पढ़कर व पढ़वाने पश्चात स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिये कि वादी स्वयं वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के आदेश दिये जावे। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर पर करावें। सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

Anil Sharma
Advocate
Mandalgarh

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2020.09.25 11:5
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner